राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–1/गो0प्र0) विभाग

प.13(76)कार्मिक/क–1/गो.प्र./2021/02463 जयपुर, दिनांकः

–: परिपत्र :–

विषयः–समस्त राजसेवकों द्वारा अपना अचल सम्पत्ति विवरण स्वयं के SSO-ID से लॉग इन कर राजकाज पोर्टल पर IPR MODULE द्वारा ऑनलाईन भरने के सम्बन्ध में।

समस्त राजसेवकों द्वारा प्रतिवर्ष **01 जनवरी की स्थिति में अपना अचल सम्पत्ति विवरण 31 जनवरी** तक भरे जाने का प्रावधान किया हुआ है, जिसके बिन्दु निम्न प्रकार हैः–

1. प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी राज्य के समस्त राजसेवकों द्वारा वर्ष 2024 (01 जनवरी 2025 की स्थिति में) का अचल सम्पत्ति विवरण दिनांक 31 जनवरी 2025 तक अनिवार्य रूप से भरा जाना है। 31 जनवरी पश्चात IPR MODULE बंद होने पर अचल सम्पत्ति विवरण नहीं भरा जा सकेगा।
2. इस विभाग के परिपत्र क्रमांक प.13(76)का./क–1/गो.प्र./2011 दिनांक 29.06.2021 के तहत राजसेवक द्वारा अपने अचल सम्पत्ति विवरण की सूचना ऑनलाईन नहीं भरने पर संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा उनको विजीलेंस क्लीयरेंस नहीं दी जावेगी व वेतन वृद्वि पर भी विचार नहीं किया जावेगा एवं पदोन्नति के सम्बन्ध में इस विभाग के परिपत्र दिनांक 19.01.23 अनुसार कार्यवाही की जावेगी। यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित सभी बोर्डों, निगमों, स्वायत्तशाषी संस्थाओं व उपक्रमों पर भी लागू है।
3. समस्त राजसेवकों को SSO-ID से राजकाज पोर्टल पर Online IPR भरने में किसी भी प्रकार की कठिनाई के निराकरण के संबंध में उक्त परिपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में अंकित IT अधिकारी से 0141–292(2281) (1149)(1856)एवं (1304) पर सम्पर्क कर सकते हैं।

Signature valid
Digitally signed by Krishna Kant Pathak
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.12.30 22:4?:53 IST
Reason: Approved

अतः समस्त प्रशासनिक विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव एवं विभागाध्यक्षों को उपरोक्त बिन्दुओं के अनुसार व्यादिष्ट किया जाता है कि वे अपने अधीन कार्यरत समस्त राजसेवकों तथा बोर्डो, निगमों, स्वायत्तशाषी संस्थाओं व उपक्रमों में कार्यरत राजसेवकों को अपना अचल सम्पत्ति विवरण SSO-ID से राजकाज पोर्टल पर ऑनलाईन समय सीमा में भरवाये जाने हेतु निर्देशित करें।

(डॉ. कृष्णा कान्त पाठक)
शासन सचिव

प्रतिलिपिः— निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. अति. मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव।
4. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव।
5. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव मा. उप मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्य मंत्री/संसदीय सचिव।
6. समस्त संभागीय आयुक्त।
7. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टरों सहित)
8. प्रशासनिक सुधार (कोर्डिफिकेशन) विभाग अनुभाग—7 कापियों सहित।
9. अतरिक्त निदेशक, कार्मिक (कम्प्यूटर) विभाग ।
10. तकनीकी निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :—

1. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा जयपुर ।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
3. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ।
4. अतिरिक्त पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर ।
5. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर ।
6. पंजीयक राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण जयपुर ।
7. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर ।
8. समस्त राजस्व अपील अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, सहायक कलक्टर।

Signature valid
Digitally signed by Krishna Kant Pathak
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.12.30 22:4?:53 IST
Reason: Approved

Immovable Property Return Flow

START

SSO Login
sso.rajasthan.gov.in

नही → सफलता पूर्वक Login नही होने की दशा में SSO Helpdesk पर सम्पर्क करे।
SSO Helpdesk No :- 0141-29 25554, 25555
email:- helpdesk.sso@rajasthan.gov.in

हाँ ↓

G2G Section में RAJKAJ IPR विकल्प का चयन करें
राजकाज
RAJKAJ IPR

नोट:- SSO में RAJKAJ IPR एक अलग से ऑप्शन है। जिसका राजकाज से कोई लिंक नहीं है। अतः राजकाज में IPR का ऑप्शन ना खोजे। SSO से लॉगिन कर RAJKAJ IPR ऑप्शन पर क्लिक कर अपना IPR प्रस्तुत करें।

राजकाज का पहली बार उपयोग करने वाले उपयोगकर्ता user self registration(in IPR-Rajkaj) करें।

प्रदर्शित Form में कार्मिक/अधिकारी IPR भरने के लिए आवश्यक विवरण भरकर स्वयं अपना पंजीकरण करें।

अधिक जानकारी के लिए अपने विभाग में सृजित राजकाज पी.एम.यू. टीम से सम्पर्क करें।

राजकाज पी.एम.यू. टीम की जानकरी राजकाज की वेबसाइट http://www.rajkaj.rajasthan.gov.in के Contact Us के PMU & Nodals ऑप्शन में उपलब्ध है।

राज-काज में पहले से पंजीकृत उपयोगकर्ता

अचल संपति विवरण (IPR) प्रक्रिया

Employee Corner >> IPR >> Manage Immovable Property Return विकल्प चुने।

- अपना प्रोफाईल विवरण जाँचे।
- प्रोफाईल विवरण अध्यतन/सही करने के लिए Update Profile पर क्लिक कर अपना विवरण सही करें और IPR प्रस्तुत करें।

संपत्ति नहीं होने के दशा में:

कार्मिक स्वयं/परिवारजन (पति/पत्नी/बच्चों/आश्रित) के नाम कोई भी अचल संपत्ति नहीं होने की स्थिति में Please Check to fill IPR with No Property Return ऑप्शन का चयन कर Nil IPR Submit करे।

संपत्ति होने के दशा में:

क्या अचल संपत्ति विवरण राज-काज द्वारा पहली बार भरा जा रहा है

नही → गत वर्ष में प्रस्तुत की गई संपत्ति को Select From Previous Property पर क्लिक कर चयन करे।

संपत्ति में किसी भी प्रकार का बदलाव होने (क्रय/विक्रय, मुल्य अन्य परिवर्तन) की स्थिति में Add/Delete/Update करें।

हाँ → कार्मिक स्वयं/परिवारजन (पति/पत्नी/बच्चों/आश्रित) के नाम की अचल संपत्ति का विवरण भरकर Save करे। (एक से अधिक संपत्ति होने पर Add बटन पर क्लिक करते हुए एक-एक कर सभी संपत्तियों का विवरण भरें।)

संपत्ति में किसी भी प्रकार का बदलाव करने के लिए Delete/Update करें।

अचल संपत्ति विवरण Submit करने के लिए SSO ओटीपी (SSO में दर्ज मोबाइल नम्बर और RAJKAJ-IPR की Profile में दर्ज ई-मेल पर प्राप्त OTP) से सत्यापित कर IPR भरने की प्रक्रिया पूर्ण करें। यथासभंव Submitted IPR की Pdf Copy को Save रखें।

END

नोट:- राजकाज सम्बंधित तकनीकी सहायता के लिए राजकाज हैल्पडेस्क पर सम्पर्क करें-
राजकाज हैल्पडेस्क न. - **0141-29-22281, 21149**